

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-03/AMRUT-21-08/2015-222 /न०वि०एवं०आ०वि० दिनांक-28.6.17

Appointment of Project Development & Management Consultant (PDMC) for Projects in Bihar Sectioned Under AMRUT Reference No-UDHD/3/AMRUT-21-08/2015-788 dt. 27.03.2017 के लिए Consultancy Evaluation Committee (CEC) का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1.	अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
4.	उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मुलन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5.	विभाग के विषय वस्तु के प्रभारी OSD/DS	सदस्य
6.	श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
7.	टीम लीडर, PMC-NULM	आमंत्रित सदस्य

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-03/AMRUT-21-08/2015-1529 /पटना, दिनांक-28.6.17

प्रतिलिपि-अपर सचिव/आंतरिक वित्तीय सहायक/मुख्य अभियंता/उप निदेशक, बुडा/प्रभारी पदाधिकारी /श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/टीम लीडर PMC-NULM, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/2017
प्रधान सचिव।